भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3715
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: एग्रीस्टैक और फसल बीमा दावे

3715. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के लातूर, छत्रपति संभाजीनगर और अहिल्यानगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में एग्रीस्टैक पहल (किसानों के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र) के तहत डिजिटल रूप से मानचित्रित कृषि भूमि का एकड़ में ब्यौरा क्या है तथा उक्त जिलों में किसानों को जारी किए गए डिजिटल किसान पहचान पत्रों (किसान पहचान) की संख्या सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थानीय धान और गेहूं खरीद कार्यों के साथ उक्त डिजिटल रजिस्ट्री के एकीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) डिजिटल फसल सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर निपटान के लिए फसल बीमा दावों के संवितरण में लगने वाले समय में अनुमानित कमी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त केंद्रीकृत डिजिटल अवसंरचना का उपयोग करने के लिए ग्राम-स्तरीय राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

क. महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, एग्रीस्टेक परियोजना के तहत लातूर, छत्रपति संभाजीनगर और अहिल्यानगर ज़िलों में बनाई गई किसान आईडी और किसान आईडी के साथ डिजिटल रूप से मैप की गई कृषि भूमि की संख्या इस प्रकार है:

संसदीय क्षेत्र	बनाई गई किसान आईडी की संख्या	किसान आईडी वाली कुल कृषि भूमि (एकड़)
लातूर	441161	1452254.73
छत्रपति संभाजीनगर	556311	1623992.70
अहिल्या नगर	911669	2952610.53

ख. एग्रीस्टेक कई तरह की डिजिटल सेवाएँ और स्कीम तक पहुँच उपलब्ध कराता है, साथ ही इसमें किसान रजिस्ट्री को कृषि उपज की खरीद की प्रक्रियाओं से एकीकृत करने की सुविधा भी है।

ग. महाराष्ट्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत डिजिटल फसल सर्वेक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

घ. भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मास्टर ट्रेनर्स के लिए क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है। इसमें किसानों को जोड़ने, सिस्टम इंटीग्रेशन और एग्रीस्टेक-आधारित सेवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परिचालन के लिए लगातार तकनीकी सहायता दी जाती है। इसके बाद, राज्य के अधिकारी फील्ड-लेवल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं।
